राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ 4 (पॉलिसी) निकाशि/अनु/2013–14/1108 दिनांकः– 25.4.13

विषय :– निजी महाविद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश ।

निजी महाविद्यालयों को नवीन महाविद्यालय खोलने / स्थायी/ अस्थायी एन.ओ.सी. जारी करने का कार्य निदेशालय में प्रगति पर है । वर्ष 2013–14 हेतु जारी की जाने वाली एन.ओ.सी. के लिए अधिकांश निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की नीति में यह अतिस्पष्ट है कि संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेज निरीक्षण दल द्वारा सत्यापित किये जायेंगे, लेकिन प्रस्तुत दस्तावेजों में अधिकांश सत्यापित नहीं है । निरीक्षण करने पर कुछ दस्तावेज की फोटो प्रतियां संदिग्ध प्रतीत हो रही है तथा कुछ में कांटछांट भी स्पष्ट हो रही है ।

अतः यह निर्णय लिया जाता है कि नवीन महाविद्यालय खोलने / स्थायी/ अस्थायी एन.ओ.सी. की प्रक्रिया को सतत् रखते हुए, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व संस्था के प्रतिनिधि समस्त दस्तावेजों (समिति के रजिस्ट्रेशन एवं विधान की प्रति, भूमि के दस्तावेज, भवन का प्रमाणित ब्लू प्रिन्ट, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, अगर आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में है तो प्रमाण पत्र, एफ.डी.आर., सम्पूर्ण महाविद्यालय परिसर की छाया चित्र, पूर्व में संचालित महाविद्यालय स्टाफ का बैक द्वारा वेतन भुगतान का प्रमाण, पूर्व में संचालित महाविद्यालय स्टाफ की पी.एफ. कटौती का प्रमाण, पूर्व में संचालित महाविद्यालय प्राचार्य एवं व्याख्याताओं का विवरण एवं योग्यता प्रमाण पत्र) की मूल प्रतियां लेकर निदेशालय में संयुक्त निदेशक (अनुदान) अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी को संस्था द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गयी फोटो प्रतियों से मूल दस्तावेजों से मिलान करायेंगे । मिलानकर्ता अधिकारी द्वारा दस्तावेजो की फोटो प्रतियों पर इस बात प्रमाणिकरण किया जायेगा की निरीक्षण अधिकारी ने जो दस्तावेज निरीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रेषित किये गये है वे सही है । इसके पश्चात महाविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र उसी समय जारी किया जायेगा ।

(नवीन जैन)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षी को बेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त निदेशक (अनुदान)